23

पर्यावरण जागरूकता

पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किए बिना जीवन को समझ पाना असम्भव है। पर्यावरण की रक्षा करने में लापरवाही बरतने का अर्थ अपना विनाश करना है। हम अपने दैनिक जीवन में पर्यावरणीय संसाधनों का प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों में कुछ का नवीकरण हो सकता है और कुछ का नहीं। हमें कोयला और पेट्रोलियम जैसे गैर नवीकृत संसाधनों का प्रयोग करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो समाप्त हो सकते हैं। मानव की सभी क्रियाओं का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। पिछली दो सदियों से जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुए तीव्र विकास से पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। पर्यावरण की गुणवत्ता को कम करने तथा इसके क्षरण के लिए ये दो कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।

पर्यावरण क्षरण से मानव के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है। हमें शीघ्र ही यह जान लेना चाहिए कि मानव जाति के कल्याण एवं अस्तित्व के लिए पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार आवश्यक है। भूमि, वायु और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग बुद्धिमतापूर्ण ढंग से करना चाहिए ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए स्वस्थ पर्यावरण को सुनिश्चित किया जा सके।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :

- पर्यावरण क्षरण की अवधारणा की व्याख्या कर पाएंगे;
- पर्यावरण क्षरण के विभिन्न कारकों को पहचान सकेंगे;
- पर्यावरण क्षरण के बारे में बढ़ती जागरूकता के बारे में जान पाएंगे;
- अक्षय विकास की संकल्पना की व्याख्या कर सकेंगे; तथा
- पर्यावरण के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता को पहचान सकेंगे।

23.1 पर्यावरण की समस्याएं

पर्यावरण हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरण के प्रभाव को अध्ययन किए बगैर जीवन को समझना कठिन है। पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकता को नकारना अपने आप को नष्ट करना है। हम

टिप्पणी

अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। ये संसाधन नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय दोनों प्रकार के हैं। हमें उन अनवीकरणीय संसाधनों जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम के प्रयोग में ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि ये समाप्त न हो जाएं। सभी मानवीय क्रिया-कलापों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। पिछले दो दशकों में पर्यावरण पर मानव प्रभाव कई गुना बढ़ गया है जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि है।

विज्ञान और तकनीक में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण के क्षरण से मनुष्य के अपने अस्तित्व पर भीषण संकट खड़ा हो गया है। जितना जल्दी इसे समझ लिया जाए कि पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें गुणात्मक संवर्धन मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, उतना ही अच्छा है। प्राकृतिक संपदा जैसे भूमि, जल एवं वायु का बुद्धिमत्तपूर्ण प्रयोग एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए आवश्यक है जो वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध होगा।

23.1.1 पर्यावरण की समस्याएं

पर्यावरण की कुछ विशेष समस्याएं निम्नलिखित हैं

क. भूमि, वायु और पानी : भूमि और पानी के प्रदूषण ने पौधों, जानवरों और मानव जाति को प्रभावित किया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग पांच से सात मिलियन हेक्टेयर भूमि की हानि हो रही है। वायु और पानी के कारण मृदा अपरदन विश्व को बहुत महंगा पड़ रहा है। बार-बार बाढ़ आने से विशेष प्रकार की हानि होती है जैसे वनक्षेत्र का घटना, नदियों में गाद भरना, पानी निकासी का अपर्याप्त एवं त्रुटिपूर्ण होना, जान-माल की हानि इत्यादि। सभी प्रकार के नाभिकीय कचरे को सागरों में डालने से पूरा प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषित और विषाक्त हो गया है।

ख. जनसंख्या में वृद्धि : जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ है खाने और सांस लेने वाले अधिक लोग और इससे भूमि और जंगलों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है जिससे अन्ततः पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा हो जाता है।

हमारी बढ़ती जनसंख्या से भूमि पर बोझ बढ़ रहा है जिससे उत्पादन की गुणवत्ता घटती है, वनों में कमी आती है। (पारिस्थितिकी में संतुलन के लिए वन क्षेत्र बहुत आवश्यक है जिसके अभाव में वन्य जीव लुप्त होते जा रहे हैं तथा पारिस्थितिकी में असंतुलन पैदा हो रहा है जिससे अन्ततः कई जीव लुप्त हो जाएंगे)। जनसंख्या में वृद्धि केवल प्राकृतिक पर्यावरण के लिए ही समस्या नहीं है अपितु यह पर्यावरण के अन्य पक्षों जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों के लिए भी समस्या है।

ग. शहरीकरण : शहरीकरण भी प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है और पर्यावरण के लिए खतरा है। शहरीकरण का अर्थ है लोगों की शहर की ओर भागती भीड़। शहरीकरण का परिणाम है-धूल, बीमारी और विनाश। बढ़ते शहरीकरण की स्थिति में सफाई, बीमारी, आवास, जल आपूर्ति और बिजली की समस्याएं निरन्तर बढ़ती रहती हैं। दूसरी ओर ग्रामीण जीवन में बिना सोच विचार के ईधन की लकड़ी संग्रहित करने, अधिक चरागाहों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास से पर्यावरण में क्षरण हो रहा है।

घ. औद्योगिकीकरण : यातायात और संचार साधनों के विकास के साथ औद्योगिकीकरण ने न केवल पर्यावरण को प्रदूषित किया है अपितु प्राकृतिक संसाधनों में भी कमी पैदा कर दी है। दोनों प्रकार से भारी हानि हो रही है। ऊष्मा प्रवाह, कार्बन डाइ ऑक्साइड, धूल-कण, रेडियोधर्मी नाभिकीय कूड़ा-कचरा और इसी प्रकार के अन्य प्रदूषकों के बढ़ते स्तर से पर्यावरणीय खतरा बढ़ा है। दूसरी ओर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की खपत से प्राकृतिक संसाधनों का हास होता है। हम भावी पीढ़ी की चिंता किए बिना विश्व निर्माण कर रहे हैं।

पाठगत प्रश्न 23.1

सही उत्तर पर (✓) का निशान लगाइए :

(क) कोयला नवीकरणीय स्रोत है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास पर्यावरण क्षरण का एक मुख्य कारक है।

(ग) भारत में जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण क्षरण नहीं होता।

(घ) वृक्ष अनवीकरणीय स्रोत का एक अच्छा उदाहरण है।

23.2 पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता

पिछले दो दशकों में पर्यावरण ने नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और विश्व के अनेक देशों में आम आदमी का ध्यान आकर्षित किया है। वे अकाल, सूखा, ईंधन की कमी, जलाने की लकड़ी और चारा, वायु और जल प्रदूषण, रासायनिकों और विकिरणों की भयावह समस्या, प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवन का लुप्त होना एवं वनस्पति तथा जीव जन्तुओं को खतरे जैसे मुद्दों के प्रति अधिक सतर्क होते जा रहे हैं। लोग आज वायु, जल, मृदा और पौधों जैसे प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधनों की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सजग हैं तथा यह प्राकृतिक सम्पदा है जिस पर मनुष्य निर्भर करता है।

पर्यावरणीय मुद्दे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनके समाधान के बिना स्थिति बहुत भयावह होगी। यदि पर्यावरणीय समस्याओं को हल नहीं किया गया तो यह पृथ्वी भावी पीढ़ी के रहने योग्य नहीं रहेगी। आज लोगों की और इस ग्रह की आवश्यकता एकाकार हो गई है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य को सम्भव बनाने के लिए पर्यावरण की रक्षा एवं बचाव अनिवार्य है। वास्तव में मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और उनके अनुरूप पर्यावरण में परिवर्तन किए जा रहे हैं। यद्यपि प्रकृति में सहन करने की अपार क्षमता है और यह स्वयं को पुनर्जीवित कर लेती है, परंतु फिर भी इसकी एक सीमा है, विशेष रूप से जब बढ़ती जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का दबाव निरंतर बढ़ रहा है। आज अक्षय विकास तथा परिवर्तनशील पर्यावरण के सुधार एवं संरक्षण की आवश्यकता है।

23.3 अवलम्बनीय विकास की अवधारणा

पर्यावरण और विकास पर बने विश्व आयोग ने 1987 में ''हमारा संयुक्त भविष्य'' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट ने अवलम्बनीय विकास (अक्षय विकास) की अवधारणा को उजागर एवं चर्चित बनाया। अवलम्बनीय विकास की यह परिभाषा दी गई है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा करना। सभी प्रकार की विकास क्रियाएं किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण क्षरण से जुड़ी होती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि विकास से होने वाले पर्यावरण क्षरण को ध्यान में रखा जाए तथा विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन स्थापित किया जाए। लोगों के कल्याण और विकास का अवलम्बनीय स्तर प्राप्त करने का उद्देश्य होना चाहिए। मूल चिंता यह है कि अंततः कितने लोगों की पर्यावरण एवं जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर कितनी सहायता की जा सकती है।

कार, ब्राउन, डाला, स्मुचर जैसे मुख्यधारा के पर्यावरणीय विद्वान हैं।

मुख्यधारा के विद्वानों का जोर प्रदूषण नहीं हैं अपितु उनका जोर है कि किस प्रकार :

(1) ऊर्जा और इसके स्रोतों को नवीकरणीय बनाया जा सके और उनका निरंतर नवीकरण हो,

(2) कूड़े-कचरे को कच्चे माल तथा कच्चे माल को कूड़े-कचरे में अर्थात दोनों का पुनर्चक्रण किया जा सके,

(3) सकल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि के लक्ष्यों को पूरा करने से बेहतर है कि वास्तविक मानवीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। 'द ग्रीन्स' कहते हैं कि वृद्धि एक प्रकार का कैंसर है, एक ऐसा कैंसर जो पूरे विश्व में फैल सकता है और जीवन का नाश कर सकता है। वह उद्योगों को तभी स्वीकार करते हैं जब यह लघु स्तर पर हो तथा आत्म निर्भरता के लिए हो। वे व्यापक विकेन्द्रीकरण की वकालत करते हैं।

अवलम्बनीय विकास की संकल्पना विकास के लिए कम और पर्यावरण के लिए अधिक, स्थायित्व के लिए अधिक और परिवर्तन के लिए कम, आवश्यकताओं को सीमित करने के लिए अधिक और भौतिक विकास की निरन्तरता के लिए कम, पर्यावरण के शोषण के विरुद्ध अधिक तथा इसके प्रयोग के प्रति कम तथा छोटे समुदायों के हित में अधिक तथा वृहद् समुदायों के हित के प्रति कम रुझान रखती है। यह पर्यावरण के साथ विकास की संकल्पना नहीं है अपितु विकास के बिना पर्यावरण की संकल्पना है।

वास्तव में पारिस्थितिकी का क्षरण रुकना चाहिए। लेकिन विकास की गति में रुकावट क्यों? पर्यावरणीय लाभों का अनुशासित प्रयोग चहुँमुखी विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। विद्वान तथा सक्रिय कार्यकर्ताओं का कहना है कि पर्यावरणीय क्षरण पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले लोगों को उनकी हरकतों के लिए उत्तरदायी ठहरा कर तथा उन्हें पर्यावरणीय स्थितियों को सुधारने में लगाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। आवश्यकता है ऐसी नियमावली की जो विकास की मांगों तथा पर्यावरण की अनिवार्यता को एक-दूसरे के निकट ले आए।

23.4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

भारत में पर्यावरण जागरूकता को महत्व 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में स्टाकहोम में पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित करवाने के बाद प्राप्त हुआ। भारत में पर्यावरणीय हित की कई गतिविधि यां चलाई गई। पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन किया गया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण पर कानून लागू किए गए।

भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्य यहाँ उल्लेखनीय हैं:

(1) सुरक्षित, स्वस्थ, उत्पादक और सौन्दर्य बोध को संतुष्ट करने वाले पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास करना;

(2) ग्रामीण और शहरी बस्तियों के जीवन स्तर में श्रेष्ठता लाने के लिए उन्हें सुधारना तथा विकसित करना;

(3) विकास को पारिस्थितिकी के सिद्धांत पर आधारित करना तथा उसके साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना और पर्यावरण सुरक्षा का समुचित प्रबंध करना;

(4) पर्यावरण सुरक्षा की तकनीकों को प्रोत्साहित करना, संसाधनों का पुनर्चक्रण करना तथा कूड़े का उपयोग करना;

I5) देश में जैव-विविधता के संरक्षण हेतु प्राकृतिक संरक्षित पशु-पक्षी विहार, जैसे पहाड़ों, वर्षा वनो, चरागाहों, मरुस्थल, जलीय क्षेत्र, झीलों, समुद्री तटों, नदी के मुहानों, समुद्री ढालों तथा द्वीपों को सुरक्षित रखना;

(6) राष्ट्रीय समुद्री विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत पर्यावरण को सुरक्षित रखना;

(7) सूचनाओं के एकत्रीकरण एवं वितरण पर निगरानी करने हेतु प्रभावशाली तंत्र स्थापित करना।

(8) वैज्ञानिक परिदृश्यों तथा ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्मारकों तथा उनके परिसरों को सुरक्षित रखना।

(9) सभी स्तरों पर पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना तथा जनता में जागरूकता पैदा करना;

(10) पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शोध को प्रोत्साहित करना तथा पर्यावरण को सुरक्षित एवं सुधारने हेतु सामाजिक रुचि को बढ़ावा देना;

(11) देश में पारिस्थितिक विज्ञानी, पर्यावरणीय विज्ञानी, योजनाकार तथा उच्च कोटि के प्रबंधकों की मानव शक्ति को विकसित करना और उनके काम को राष्ट्रीय विकास के महत्वपूर्ण अंग के रूप में देखना।

23.5 पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ने से पूरे विश्व में नए उपाय किए जा रहे हैं। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 1972 में स्टाकहोम सम्मेलन में सम्मिलित होने वाली अकेली राष्ट्र अध्यक्ष थीं, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन का नाम दिया गया। 20 वर्ष पश्चात रियो सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन कहा गया। सबसे पहले इन्दिरा गांधी ने संकेत किया कि गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है और जब तक इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के माध्यम से दूर नहीं किया जाएगा तब तक इस ग्रह को पर्यावरणीय आपदा से बचाने की बात करना बेकार है। यू.एन.डी.पी., विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र की अन्य संस्थाएं अवलम्बनीय विकास हेतु गरीबी उन्मूलन की पैरवी कर रही हैं। नि:संदेह पर्यावरण और विकास की नीतियां एक-दूसरे की पूरक हैं फिर भी दीर्घकालिक पर्यावरणीय हितों की आवश्यकता तथा विकास की तीत्कालिक जरूरतों के बीच विवाद को सुलझाने की जरुरत है। लेकिन विश्व की कोई भी व्यवस्था अवलम्बनीय नहीं हो सकती यदि इसकी तीन चौथाई जनसंख्या गरीबी में जीवनयापन करती हो। पर्यावरणीय अधिकार तथा विकासात्मक अधिकार मिलकर विश्व के लोगों के लोकतांत्रिक तथा मानवाधिकारों का निर्माण करते हैं। मांट्रियल सम्मेलन तथा मौसम परिवर्तनों पर सम्मेलनों तथा रियो में जैव विविधता और जंगलों पर स्वीकार किए गए प्रस्ताव अवलम्बीय विकास और पर्यावरण सुरक्षा के महत्वपूर्ण निर्णय हैं। भारत ने इन सम्मेलनों के निर्णयों को स्वीकार किया है और उन्हें क्रियान्वित करने के उपाय कर रहा है। यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रदान की गई राशि से एक पर्यावरण कार्य योजना पर काम चल रहा है। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत 31 योजनाएं हैं जिनमें अमेरिका के 105 मिलियन डालर की भागीदारी है। प्रारम्भ छोटे उद्योगों से किया गया है जो एक ही स्थान पर स्थित हैं, बड़े उद्योगों की व्यक्तिगत स्तर पर देखभाल की जा रही है। निश्चित समय सीमा में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 उद्योगों की पहचान कर ली गई है। कुछ विशेष उद्योगों को स्थापित करने से पूर्व पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। वाहनों के प्रदूषण के संबंध में परिवर्तन करने के उपायों के अतिरिक्त प्रदूषण मुक्त इंजिन निर्मित किए जा रहे हैं जिन्हें पहले से ही दुपहिया, तिपहिया व अन्य लोकप्रिय कारों में प्रयोग किया जा रहा है। राष्ट्रीय वानिकी योजना पर काम चल रहा है। गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पर्यावरण ब्रिगेड, वनों की कटाई के विरुद्ध ब्रिगेड और पारिस्थितिक कार्यबल संगठित किए गए हैं। भारत के वन्य जीव संरक्षण की कार्ययोजनाओं को भरपूर सफलता मिली है। भारत में 75 राष्ट्रीय उद्यान और 421 वन्य जीव अभयारण्य का सुरक्षित ढांचा है। टाइगर कार्ययोजना भी काफी सफल रही है। भारत में जल, मृदा और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए काफी कानून हैं तथा अधिकांश उद्योगों के पर्यावरण की जांच की व्यवस्था है। जबकि कई देशों में यह स्वैच्छिक है परंतु भारत में यह कानूनी रूप से अनिवार्य है। भारत में वैकल्पिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों; जैसे सौर ऊर्जा, पवन और तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा को विकसित करने के गंभीर और व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं, जो पर्यावरण हितैषी भी हैं। सौर ऊर्जा पर अधिक बल दिया जा रहा है और इस दिशा में कुछ प्रौद्योगिक प्रगति भी की गई है। भारत इन सब उपायों पर आंशिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से काम कर रहा है।

टिप्पणी

23.6 पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय

(1) **पर्यावरण अदालतें:** पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली फैक्ट्रियों के विरुद्ध तेजी से न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जा रहा है।

(2) **पर्यावरण हितैषी उत्पाद :** सरकार बाजार में बिकने वाले उत्पादों के लिए सख्त नियम लागू कर रही है। इन मानकों पर खरा उतरने वाले उत्पादों को उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र जैसे आई.एस.आई. मार्क दिया जाता है।

(3) **पेट्रोल को शीशा मुक्त करना :** तेल शोधक कारखानों को शीशा मुक्त पेट्रोल बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। भारतीय पेट्रोल में शीशा (लैड) की मात्रा अधिकतम होती है जो मोटरगाड़ियों के माध्यम से अधिकांश प्रदूषण फैलाता है।

(4) **हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध:** आठ रासायनिक कीटनाशकों, जिनमें डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रिन और मेलाथियन शामिल हैं, को बाजार से हटा दिया गया है तथा इनके स्थान पर सुरक्षित जैविक कीटनाशकों को लाने की योजना है।

(5) **राष्ट्रीय कूड़ा प्रबंधन परिषद:** इसका मुख्य कार्य 40 मिलियन टन फ्लाई ऐश को, जो कि थर्मल प्लांटों के निकट पहाड़ के रूप में पड़ी है, ईटों में तथा शहर के कूड़ा-कर्कट को ऊर्जा में और सीवर के मल को उर्वरक में परिवर्तित करना है।

(6) **पब्लिक लायबिल्टी इन्श्योरेंस: (जन दायित्व बीमा)** इसके अंतर्गत सभी कम्पनियों के लिए 48 घंटे में पब्लिक लायबिल्टी इन्श्योरेंस का भुगतान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

(7) **मोटरवाहनों द्वारा प्रदूषण:** मोटर वाहनों द्वारा प्रदूषण फैलाने के विरुद्ध प्रदूषण विरोधी अभियान को सख्ती से लागू किया जा रहा है। निश्चित मापदण्डों का पालन न करने वाले वाहनों पर भारी जुर्माना भी हो सकता है।

(8) **समुद्र तट के निकट होटल:** ऐसे होटलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है जो कानूनों की अनदेखी करते हुए समुद्री तट पर अतिक्रमण करते हैं।

(9) **राष्ट्रीय नदी कार्य योजना:** राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है जो राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रयोग एवं कूड़ा प्रबंधन के लिए नीति बनाएगा।

(10) **सौर ऊर्जा आयोग:** ऊर्जा क्षेत्र प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारक है इसलिए मुख्य ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने के स्थान पर ग्रामीण स्तर पर विकेन्द्रित ऊर्जा निर्माण की योजना है।

(11) **सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध:** सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध करने का प्रस्ताव है। दिल्ली सरकार ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है एवं इसे लागू कर दिया है।

पाठगत प्रश्न 23.2

1. पर्यावरण पर आयोजित दो अति महत्वपूर्ण सम्मेलनों की पहचान कीजिए।
   (क) _____
   (ख) _____

2. उस विश्व आयोग का नाम लिखिए जिसने अवलम्बनीय विकास की संकल्पना को लोकप्रिय बनाया।
   (क) _____

3. भारत की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के तीन उद्देश्य लिखिए।
   (क) _____
   (ख) _____
   (ग) _____

4. पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए तीन उपायों का वर्णन कीजिए।
   (क) _____
   (ख) _____
   (ग) _____

आपने क्या सीखा

- पर्यावरण वह आवरण है जिसमें हम रहते हैं।
- योजना रहित मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण क्षरण होता है।
- अवलम्बनीय विकास ऐसी संकल्पना है जो कहती है कि विकास पर्यावरण उन्मुखी होना चाहिए। यह इस प्रकार का होना चाहिए कि प्राकृतिक संतुलन को हानि न पहुँचाए।
- विभिन्न प्रकार के प्रदूषक जैसे कार्बन डाइ ऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, कीटनाशक, मल-मूत्र, धुआं एवं शोर पर्यावरण का क्षरण करते हैं।
- प्रकृति को संरक्षित रखने की जागरूकता बढ़ रही है। संरक्षण अथवा विनाश आज का नारा बन चुका है।
- संयुक्त राष्ट्र अपनी एजेन्सियों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रयास कर रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों को आज की पीढ़ी के कृत्यों का परिणाम न भुगतना पड़े।
- भारत सरकार ने ऐसे कानून तथा उपाय किए हैं जो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देते हैं तथा प्रकृति के संरक्षण में सहायक हैं।

पाठांत प्रश्न

1. पर्यावरण और पर्यावरण क्षरण का अर्थ लिखिए।
2. पर्यावरण की दो समस्याओं का वर्णन कीजिए।
3. अवलम्बीय विकास क्या है? स्पष्ट करें।
4. श्रेष्ठतर प्राकृतिक पर्यावरण की दिशा में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की रूप रेखा लिखिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

23.1

(क) असत्य
(ख) सत्य
(ग) असत्य
(घ) असत्य

23.2

1. (क) स्टाकहोम सम्मेलन
   (ख) रियो सम्मेलन
2. (क) रियो सम्मेलन
3. (क) सुरक्षित स्वस्थ, उत्पादक और सौन्दर्य बोध को संतुष्ट करने वाले पर्यावरण का संरक्षण एवं विकास करना।
   (ख) ग्रमीण और शहरी बस्तियों के जीवन स्तर में श्रेष्ठता लाने के लिए उन्हें सुधारना तथा विकास करना।
   (ग) पर्यावरण सुरक्षा की तकनीकों को प्रोत्साहित करना, संसाधनों का पुनर्चक्रण करना तथा कूड़े का उपयोग करना।
4. (क) पेट्रोल को शीशा (लैड) मुक्त करना।
   (ख) हानिकारक कीटनाशकों पर प्रतिबंध।
   (ग) राष्ट्रीय नदी कार्य योजना।

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

1. देखें खण्ड 23.1
2. देखें खण्ड 23.1.1
3. देखें खण्ड 23.3
4. देखें खण्ड 23.6

आइए किशोरवय के मुद्दों पर विचार करें।

हम कैसे जान पायेंगे कि कोई व्यक्ति नशीली दवाओं का अभ्यस्त है?

नशीली दवाओं के शिकार होने के निम्नलिखित लक्षण होते हैं:-

- दैनिक जीवन के कार्यो के प्रति उदासीनता
- भूख/वजन में कमी
- आँखों में सूजन तथा उनका लाल रहना साथ ही दृष्टि में कमी
- जुबान का लड़खड़ाना
- शरीर पर ताजे/अनेक सूइयों के निशान होना तथा कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई पड़ना।
- घर में सूई, सिरिंज एवं अजनबी पैकेट का होना।
- शरीर में दर्द होना, सिर घूमना एवं उल्टी होना।
- निष्क्रिय रहना, आलसी आचरण करना तथा उन्नींदी अवस्था में रहना।
- पसीना आना, तनाव में रहना, चिन्ता ग्रसित होना।
- मन: स्थिति एवं स्वभाव में परिवर्तन, अचानक आवेश आना।
- भावनात्मक अलगाव एवं मानवीयता से अलग भाव रखना।
- स्मृति में कमी आना एवं ध्यान केन्द्रित न कर पाना।